# मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

नर्मदा भवन, द्वितीय तल "सी" विंग, 59 अरेरा हिल्स, भोपाल

---

क्र./5315/एनआरईजीएस–म.प्र./स्था./एनआर–2/10 भोपाल दिनांक 25.05.10

प्रति,

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जिला/जिला पंचायत रीवा

**विषय :** **श्री बसंत लाल पटेल, सहायक लेखाधिकारी जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के संबंध में।**

**संदर्भ –** परिषद् का पृष्ठांकन क्र. 4582 दिनांक 06.5.2010

विषयांतर्गत लेख है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. अंतर्गत श्री बसंत लाल पटेल, सहायक लेखाधिकारी (संविदा) जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा में पदस्थ है।

श्री पटेल, सहायक लेखाधिकारी की संविदा अवधि दिनांक 31.3.2009 तक बढ़ाई गई थी, किन्तु संविदा अवधि समाप्त होने के बाबजूद वे अभी तक कार्यरत है। कृपया उक्त संबंध में सूचित करें कि श्री पटेल से किस प्रक्रिया के तहत कार्य लिया जा रहा है एवं उनके मासिक संविदा पारिश्रमिक का भुगतान कैसे हो रहा है।

(हस्ताक्षर) 22.5.10

**(रूही खान)**
उपायुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

पृ.क्र./5316/एनआरईजीएस–म.प्र./स्था0/एनआर–2/10 भोपाल दिनांक 25.05.10

**प्रतिलिपिः–**

1. संभागायुक्त, संभाग .................. समस्त की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला .............. समस्त की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला पंचायत ...........समस्त कृपया परिषद के पृष्ठांकन क्र. 4582 का पुनः अवलोकन करें। पत्र में स्पष्ट निर्देश है कि बगैर संविदा अवधि बढ़ाये अमले से कार्य नहीं लिया जावे। संविदा नवीनीकरण निर्धारित समयावधि में ही करावें। यदि संविदा का नवीनीकरण कराए बगैर ही कार्य लिया जाकर मासिक भुगतान किया जाता है तो वैधानिक कठिनाईयां हो सकती हैं।

(हस्ताक्षर) 22.5.10

उपायुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल